*परिशिष्ट ''ठ'' (क)

(नियम 81)

पार्किंग की व्यवस्था करते समय यह ध्यान रखा जाए कि खुले स्थान का न्यूनतम 25 प्रतिशत स्थान लेण्ड स्केपिंग (नर्म सतह के) लिए छोड़ दिया गया है एवं इस क्षेत्र को पार्किंग की गणना में न लिया जाये।

टिप्पणी – प्रत्येक कार के स्थान के लिए क्षेत्र –

(1) बेसमेंट 35 वर्गमीटर

(2) स्टील्ट 30 वर्गमीटर

(3) खुला क्षेत्र 25 वर्गमीटर

पार्किंग के स्थान की व्यवस्था सड़क पर यानों की पर्याप्त पहुंच के साथ ही की जायेगी और यान के चलाने के क्षेत्र रास्ता (आइल) तथा अन्य व्यवस्थाएं, जो यान के संचालन (मेनोवरिंग) के लिए अपेक्षित हैं। इन नियमों में अनुज्ञात पार्किंग स्थान में सम्मिलित होगी।

यदि इन नियमों द्वारा अपेक्षित कुल पार्किंग स्थान सम्पत्ति स्वामियों के एक समूह द्वारा उनके पारस्परिक फायदों के लिए दिया जाता है, तो ऐसे पार्किंग से, प्राधिकारी के अनुमोदन के अध्यधीन रहते हुए इन नियमों के अधीन आवश्यकताओं की पूर्ति होगी।

उपलब्ध कराये गये पार्किंग स्थानों के अतिरिक्त थोक बाजार, औद्योगिक तथा भंडार के लिए भवन हेतु तल क्षेत्र के प्रथम 200 वर्गमीटर से अधिक तल क्षेत्र के प्रत्येक 100 वर्गमीटर या उसके भाग के लिए लदाई तथा उतराई क्रियाकलापों हेतु ऐसे एक स्थान के रेट पर उपलब्ध कराया जाएगा।

पार्किंग स्थानों को विभिन्न प्रकारों के यानों के लिए आच्छादित किया जायेगा और स्पष्ट रूप से चिन्हित किया जायेगा।

तलघर (बेसमेंट) में दिये गये पार्किंग स्थानों के मामले में, पर्याप्त चौड़ाई तथा ढलान (स्लोप) के कम से कम दो रेम्प दिये जायेंगे जो विपरीत छोरों पर स्थित होंगे।

---

* परिशिष्ट ''ठ'' के पश्चात परिशिष्ट ''ठ (क)'' अंतःस्थापित राजपत्र दिनांक 28.4.2000